संख्या-10/2015/ 297सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 05 फरवरी, 2015

विषय- शासनादेश संख्या-4/2015/05सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 08 जनवरी, 2015 का संशोधन/शुद्धि-पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर मद में प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से शक्कर विशेष निधि के अन्तर्गत सृजित उप निधियों के लिए प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2014-15 में नवस्थापित गन्ना एवं चीनी आयुक्त कार्यालय के संचालन हेतु आवश्यक सेवायें/साज-सज्जा/सामग्रियों की विभिन्न मदों हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-4/2015/05सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013, दिनांक 08 जनवरी, 2015 के प्रस्तर-4 में **लिपिकीय त्रुटिवश अंकित " दिनांक 31 मार्च, 2013" के स्थान पर " दिनांक 31 मार्च, 2015" पढ़ा जाय।** तदनुसार उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-10/2015/ 297(1)सी0डी0/46-3-15-3(श0वि0नि0)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- संयोजक, उ0 प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
6- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in